दिनांक २५ जुलाई, १९७५ को अपरान्ह ३-०० बजे प्राधिकरण कार्यालय, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग) स्थित मीटिंग कमेटी हाल में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।

--0--

<u>उपस्थित:</u>

१- श्री पी०एन०चतुर्वेदी, अध्यक्ष,

२- श्री आर०आर० शाह, उपाध्यक्ष,

३- श्री आर०के० भार्गव, विशेष सचिव, वित्त, सदस्य,

४- श्री बी०एन० खन्ना, संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन, सदस्य,

५- श्री आर०सी० पन्त, जिलाधिकारी, सदस्य,

६- श्री जे०एन० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, सदस्य,

७- श्री एस०सी० चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग,

८- श्री महेश चन्द्र, सचिव ।

--0--

मद सं०-१ १ पिछली बैठक दिनांक २-४-७५ की कार्यवाही की मद सं० ३ एवं १२ के बारे में प्राप्त मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के सुझावों पर विचार किया गया । पिछली बैठक में १० लाख रुपये के ऊपर के काम अनुमानों एवं टेण्डरों की प्राधिकरण की प्राविधिक उप-समिति द्वारा स्वीकृति के निर्णय के बारे में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने कहा कि अधिनियम में ऐसी किसी उपसमिति का प्राविधान नहीं है। अतः प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रतिनिधान किसी समिति को नहीं कर सकती । उपाध्यक्ष ने पिछली बैठक में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में बताया कि वास्तव में इसका तात्पर्य प्राविधिक स्वीकृति से था और "वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान" के स्थान पर कार्यवाही में "प्राविधिक स्वीकृति" अंकित किया जाना चाहिए था ।

२- सिद्धान्ततः यह बात तय पायी गयी कि जब कभी भी प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधान किया जाय तो उन अधिकारों का प्रयोग उक्त अधिकारीगण उपाध्यक्ष के प्रशासनिक, वित्तीय एवं बजटरी नियंत्रण के अधीन करेंगे । विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित सुनिश्चित निर्णय लिये गये:-

<u>(१) अधिकतम कार्यों के लिए :-</u>

) अ(<u>कार्य अनुमान :</u>

१ लाख रुपये तक के कार्यानुमानों की प्राविधिक स्वीकृति

क्रमशः

प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा १० लाख रुपये तक के व्ययानुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता दें। १० लाख रुपये के ऊपर के व्ययानुमानों की प्राविधिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग की जांच-रिपोर्ट के आधार पर दी जायेगी ।

(ब) टेण्डर:

टेण्डरों की स्वीकृति उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित एक उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर दी जायेगी ।

(२) अभियन्त्रण कार्यों के अतिरिक्त :

व्ययानुमानों एवं टेण्डरों पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया ।

(३) पिछली बैठक की कार्यवाही दिनांक २-४-७५ की मद सं० ३ में "वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान" शब्दों की जगह "प्राविधिक स्वीकृति" शब्द यथास्थान अंकित किये जायं।

(४) वर्तमान सब्जी मण्डियों द्वारा जो जगह खाली की जायेगी उन स्थानों के विकास की योजना अलग से अतिशीघ्र बना ली जाये ताकि यह सीतापुर रोड पर शाही पुल से मिले हुए बांध के निकट सब्जी मण्डी योजना के प्रथम चरण के रूप में कार्यान्वित की जा सके । द्वितीय चरण में स्थानान्तरित स्थानों पर प्रस्तावित योजना कार्यान्वित की जाय ।

(कार्यवाही - सचिव)

मद सं०-२ ३- उक्त पुनर्निरीक्षित निर्णय के अधीन पिछली बैठक दिनांक २-४-७५ की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

मद सं०-३ ४- पिछली बैठक की लम्बित मदों पर की जा रही कार्यवाही के विवरण पर विचार किया गया तथा उनके विभाग में अनिस्तारित मदों के निस्तारण पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का ध्यान आकर्षित किया गया । उन्होंने सूचित किया कि उक्त विवरण में उल्लिखित कुछ पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। निश्चय हुआ कि तत्सम्बन्धी पत्रों की प्रतिलिपियां मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को नाम से आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी जाय ।

(कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता)

मद सं० -४ ५- प्राधिकरण के आवश्यक पदों के सृजन, वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्सम्बन्धी व्यय पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तावित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज द्वारा आर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर, डिसीज़न मेकिंग सिस्टम और परफार्मेन्स बजट पर एक विस्तृत अध्ययन कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और 3 Consultent Months

क्रमश:

की फीस जो रू० ३०,०००।- से अधिक न हो तक देने के लिये उन्हें अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक उक्त अध्ययन (Study) की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्राधिकरण के पदों को अन्तिम स्वरूप देना उचित न होगा। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ३७६ पदों में से ८२ पद, जिनमें ६ प्रथम श्रेणी, २४ द्वितीय श्रेणी तथा ४६ चतुर्थ श्रेणी के हैं, प्राधिकरण से त्याग करके उनका संविलियन महापालिका में कर लिया जाय तथा इन ८२ पदों को फिलहाल न भरा जाय। प्राधिकरण की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव प्राधिकरण के सामने रखा गया कि मुख्य अभियन्ता, कास्ट एकाउन्टेन्ट, प्लानर, आर्किटेक्ट, विधि अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के नए पद स्वीकृत कर दिये जायें। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि तात्कालिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित पद, उनके सामने लिखित वेतनक्रम में, सृजित कर दिए जायें।

क्रमांक०	पद नाम	पद-संख्या	वेतनक्रम
१-	मुख्य अभियन्ता	एक	१३५०-१७००
२-	आर्किटेक्ट -कम-प्लानर	एक	१३५०-१७००
३-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	एक	८००-१४५०
४-	सहायक अभियन्ता	चार	५००-११५०
५-	वैयक्तिक सहायक	एक	४२५-६००
६-	स्टेनोज़	दो	२४०-४२४
७-	ड्राइवर	पांच	१७२-२२६

६- प्राधिकरण ने पदों की स्वीकृति एवं सृजित किये जाने तथा उन पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पदें, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू० २,०००।- तक हो, को स्वीकृत एवं सृजित करने का अधिकार सामान्यतया प्राधिकरण के पास रहे क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि रू० २,०००।- से ऊपर के अधिकतम वेतन के पदों की स्वीकृति एवं सृजन करने का अधिकार शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से उपाध्यक्ष ऐसे पदों का सृजन कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार उन्हें हो परन्तु ऐसी नियुक्तियों को वे प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

७- जहां तक विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष

क्रमशः

सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार अधिनियम द्वारा शासन को है। अन्य पदों पर नियुक्ति के अधिकार के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, आर्किटेक्ट-कम-प्लानर, कास्ट एकाउन्टेन्ट और रू० १,२००।- तथा रू० २,०००।- के बीच के अधिकतम वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा की जायेंगी। ऐसी नियुक्तियों के लिए प्राधिकरण ने एक चयन समिति का गठन किया जिसमें उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य होंगे। रू० १,२००।- के अधिकतम वेतन के नीचे के समस्त पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया।

(कार्यवाही - सचिव)

मद सं०-५ ८- लखनऊ के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के दोनों ओर स्थित भवनों के अग्रभाग में रंग रोगन करने के सम्बंध में मुख्य मंत्री जी के सचिवालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक ७-७-७५ के निर्देशानुसार बनाये गये समय-बद्ध कार्यक्रम एवं तत्सम्बन्धी योजना पर विचार किया गया। योजना और समयबद्ध कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई और उपाध्यक्ष को प्राधिकरण द्वारा शासन से आवश्यक स्वीकृति अधिकार प्राप्त कर अनुसारी कार्यवाही समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने के लिये अधिकृत किया गया(कार्यवाही मुख्य अभियन्ता)

मद सं०-६ ९- चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने तथा आलमबाग में लोकोशेड के बगल में खाली पड़ी हुई रेलवे की भूमि एवं प्राधिकरण की पाण्डे का तालाब तथा एल०आई०टी० रेलवे साइडिंग ऐशबाग स्थित भूमि की अदला-बदली के संबंध में विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(१) ऐशबाग में भगवान इन्डस्ट्रीज़ से लगी हुई एल०आई०टी० रेलवे साइडिंग की प्राधिकरण की भूमि को आलमबाग क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग नं० २५ और रेलवे रनिंग शेड की चारदीवारी के बीच स्थित रेलवे विभाग के भूखण्ड से २:३ के अनुपात में विनिमय किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि रेलवे विभाग अपने पूर्ण भूखण्ड का वह भाग प्राधिकरण को देगा जो राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा हुआ है और सड़क के किनारे-किनारे पहुँचने के रास्ते में है।

(२) चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने सड़क के किनारे स्थित रेलवे के भूखण्ड का पाण्डे का तालाब स्थित प्राधिकरण की भूमि से १:१ के अनुपात में विनिमय किया जाय।

—(कार्यवाही - सचिव)

मद सं०-७ १०- निजी शैक्षिक संस्थान, निजी निःशुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये

क्रमशः

जाने के सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के साथ विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी शैक्षिक, चैकित्सिक एवं समाज कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक एवं दानोत्तर संस्थाओं को भूमि मांगे जाने पर भूमि की बाजारू दरों में ५० प्रतिशत की सीमा तक छूट दी जाय। ऐसी संस्थाओं को भूमि का आवन्टन प्राधिकरण स्वयं करेंगे।

—(कार्यवाही - सचिव)

मद सं० ८ ११- बै-रोड तथा राना प्रताप मार्ग के दोनों ओर की भूमि के सम्बंध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय और पिकअप के निदेशकों द्वारा प्रेषित भू-उपयोग परिवर्तन के पत्रों पर विचार हुआ। यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करलें। तत्पश्चात यह मद अगली बैठक में पुनर्विचार हेतु स्थगित की गई।

-- (कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता)

मद सं० -९ १२- 'लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना', जिसका क्षेत्रफल ४,३३३ एकड़ है और जिसकी सीमा उत्तर में शारदा नहर, पूरब की ओर रायबरेली मार्ग, पश्चिम की ओर कानपुर रोड तथा दक्षिण में एक ओर अमौसी हवाई अड्डा है, पर विचार किया गया। मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने सुझाव दिया कि दक्षिणी सीमा में शीतलखेड़ा ग्राम तथा बिजनौर रोड के बीच इस प्रकार संशोधन कर दिया जाय कि भूमि प्राकृतिक सीमा तक अध्याप्त हो जाय। यह संशोधित प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखा लिया जाय। उक्त संशोधन के अधीन प्रस्तावित योजना स्वीकार की गयी। यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा योजना का ले-आउट प्लान बना लिया जाय और भूमि-अध्याप्ति की विज्ञप्ति जारी करने के लिये शासन से अनुरोध किया जाय।

-- (कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता)

मद सं० १० १३- अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग सम्बन्धी मैसर्स गर्ग फार्मा प्राइवेट लि०, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-५-७५ पर विचार किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या ६४-ए के रिक्त न होने के कारण उक्त फर्म का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया गया।

मद सं०-११ १४ अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:-

(१) रू० १-१६ करोड़ की लागत पर हजरतगंज स्थित पुराने पोस्ट आफिस में एक बहुखण्डीय शाप-कम-आफिस काम्पलेक्स की योजना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने बताया कि यह योजना सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। बैंक से ६५ लाख रूपया

क्रमशः

के ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा इन भवनों के नक्शे बनाने की रू० ८७,७९६।- की फीस की मांग की गयी है। इतना बड़ा वित्तीय भार प्राधिकरण द्वारा अपने शैशव काल में वहन करना सम्भव नहीं है। अत: यह फीस प्राधिकरण से न ली जाय। उक्त बहुखण्डीय भवन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के सम्बन्ध में डा० ओ०पी०जैन विभागाध्यक्ष, स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित किया गया। उन्होंने डिज़ाइन बनाने हेतु भवन की अनुमानित लागत के १ प्रतिशत की फीस, जो लगभग रू० ८७,७९६।- होती है, की मांग की है। इस विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(क) राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय कि चूंकि प्राधिकरण का यह प्रारम्भिक चरण है, अत: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा मांगी गयी नक्शे आदि बनाने की फीस रू० ८७,७९६।- की छूट दे दी जाय।

(ख) रुड़की विश्वविद्यालय के डा० ओ०पी०जैन से बहुखण्डीय भवन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार करा लें और स्ट्रक्चरल कास्ट का निर्धारित १ प्रतिशत शुल्क के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता)

(२) डा० महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के प्रार्थना-पत्र दिनांक १८-७-७५, जिसमें उन्होंने आलमबाग क्षेत्र स्थित लखनऊ-कानपुर रोड पर अपने भूखण्ड में मकान बनवाने हेतु निर्धारित सेट बैक में छूट दिये जाने की प्रार्थना की है, पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ-कानपुर रोड के मध्य से ७५ फुट का फासला छोड़कर उनको अपने प्लाट पर बाउण्ड्री वाल बनाने तथा उसके बाद २० फुट का सेट बैक छोड़कर भवन बनाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि यदि भविष्य में लखनऊ-कानपुर मार्ग को चौड़ा करने हेतु प्रश्नगत बाउन्ड्री वाल को तोड़ने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी अपने खर्चे पर उसे तोड़ देगा। यदि प्रार्थी चाहे तो पक्के अपने भूखण्ड के बाउन्ड्री-वाल तक भवन बना सकता है परन्तु किनारे(साइड) के सेट-बैक नियमानुसार छोड़ना पड़ेंगे।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता)

(३) लाला राजू प्रसाद, लाला लक्ष्मण दास तथा लाला रानी साहबा की

क्रमशः

मलिन बस्ती सुधार योजना के सम्बंध में राज्य सरकार से ऋण लेने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि हाता राजू प्रसाद की योजना हेतु मलिन बस्ती पर्यावरण अथवा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिए रू० ६,१६,६८०/- तथा निम्न आय वर्गीय व्यक्तियों के लिए रू० १,१६,७५२/-, हाता लक्ष्मण दास की योजना हेतु मलिन बस्ती पर्यावरण अथवा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिए रू० ८,३६,५६८/- तथा निम्न आय वर्गीय व्यक्तियों के लिए रू० १,६६,७५२/- एवं हाता रानी साहब की योजना हेतु मलिन बस्ती पर्यावरण अथवा आर्थिक दृष्टि दुर्बल व्यक्तियों के लिए रू० ६,१६,६८०/- के ऋण की स्वीकृति हेतु शासन से अनुशंसा की जाय।

—(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

तदुपरान्त अध्यक्ष का धन्यवाद देते हुए प्राधिकरण की बैठक समाप्त हुई।

ह०- आर०आर०शाह
८-८
(आर० आर०शाह)
प्रशासक,
नगर महापालिका,
तथा
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

ह०- पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी
९-८-७५
(पी०एन० चतुर्वेदी)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
तथा
अध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पुष्टि की गई

ह०- पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी
२२-११-७५

दिनांक २५ जुलाई, १६७५ को अपरान्ह ३ बजे प्राधिकरण कार्यालय, ६ जगदीश चन्द्र बोस मार्ग में लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली बैठक की कार्य-सूची ।

--०--

मद सं० १ -- लखनऊ विकास प्राधिकरण की विगत २-४-१६७५ की बैठक की कार्यवाही की मद सं० ३ एवं १२ के बारे में मुख्य अभियन्ता, स्वा० शा०अभि० विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र क्रमश: दिनांक १८-४-७५ व २२-४-७५ पर विचार ।

मद सं० २ -- दिनांक २-४-७५ की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

मद सं० ३ -- पिछली बैठक की लम्बित मदों पर की जा रही अनुगामी कार्यवाही का विवरण ।

मद सं० ४ -- प्राधिकरण के अधिष्ठान हेतु आवश्यक पदों के सृजन, कुछ वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्सम्बन्धी व्यय की स्वीकृति पर विचार ।

मद सं० ५ -- लखनऊ के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के दोनों ओर स्थित भवनों के अग्रभाग के रंग रोगन करने के संबंध में मुख्य मंत्री जी के सचिवालय से प्राप्त ज्ञापन दिनांक ७-७-७५ के निर्देशानुसार बनाये गये समय-बद्ध कार्यक्रम पर विचार एवं तत्संबंधी योजना की स्वीकृति ।

मद सं० ६ -- चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने तथा आलमबाग में लोको शेड की बगल में राखी गोदाम की रेलवे की भूमि एवं विकास प्राधिकरण की पाण्डे का तालाब तथा एल०आई०टी० रेलवे साइडिंग ऐशबाग स्थित भूमि की अदला बदली के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

मद सं० ७ -- निजी शैक्षिक संस्थान, निजी नि:शुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये जाने के संबंध में नीति निर्धारण ।

मद सं० ८ -- वी रोड तथा राणा प्रताप मार्ग के दोनों ओर की भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन पर विचार एवं निर्णय ।

मद सं० ९ -- " लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना " जिसका क्षेत्रफल ४३३३ एकड़ है और जिसकी सीमा उत्तर में शारदा नहर, पूरब की ओर रायबरेली मार्ग, पश्चिम की ओर कानपुर रोड तथा दक्षिण के एक ओर अमौसी हवाई अड्डा है, नोटीफाई करने पर विचार ।

मद सं० १० -- अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग की वृद्धि हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग संबंधी मेसर्स गर्ग फ़ार्मा प्राइवेट लि० लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-५-७५ पर विचार ।

मद सं० ११ -- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

--०--

२०१३

मद संख्या १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विगत १-४-१९७५ की बैठक की कार्यवाही की मद संख्या ३ एवं १२ के बारे में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र क्रमशः दिनांक १८-४-७५ व २२-५-७५ पर विचार।

प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में अभियन्त्रण एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान किया था तथा सीतापुर रोड पर बन्धे के निकट एक आधुनिक सब्जी मंडी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया था। उक्त बैठक में प्रसारित की गई कार्यवाही की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने जो पत्र लिखा है उसकी प्रतिलिपि प्राधिकरण के अवलोकनार्थ संलग्न है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भी उक्त संलग्नक के अनुरूप एक पत्र प्राधिकरण के सचिव को लिखा है।

प्राधिकरण कृपया इन सुझावों के आधार पर आगामी कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

182

सचिव, विकास प्राधिकरण की संबोधित मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र सं०१३२।सी सी।ल०वि० प्रा० दिनांक अप्रैल २८, १९७५ की प्रतिलिपि।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं०१६(५) प्रशा०उपा०। ल० वि० प्रा०,७० दिनांक अप्रैल १६, १९७५ द्वारा जो २ अप्रैल १९७५ की विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही भेजी गयी है उसमें कुछ अशुद्धियां हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

पृष्ठ सं०३, मद सं०३, पैरा५- इसमें निम्नलिखित अधिकार विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५९(२) के अन्तर्गत प्रतिनिहित किये गये हैं-

(१) मुख्य अभियन्ता को दस लाख रुपये तथा अधिशासी अभियन्ता को एक लाख रुपये तक के टेण्डर स्वीकृत करने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि टेण्डर ~~स्वीकृत [illegible]~~ का मूल्य टेन्डर में सम्मिलित कार्यों की स्वीकृति व्यय अनुमान से अधिक न हो ।

(२) मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को १० लाख रुपये तथा १ लाख रुपये क्रमश: तक के व्ययानुमान स्वीकृत करने का अधिकार इस प्रतिबंध के साथ कि व्ययानुमान अनुमोदित शैड्यूल की दरों पर हो।

(३) यदि टेन्डर स्वीकृत व्ययानुमान से अधिक हो तो उसकी स्वीकृति दूसरे उच्च अधिकारी(नेक्सट हायर अथारिटी) द्वारा दी जायेगी।

(४) १० लाख रुपये के उपर के व्ययानुमान एवं टेन्डर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे ।

(५) अभियन्त्रण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के व्यय अनुमान एवं टेन्डर स्वीकृत करने के समस्त अधिकार उपाध्यक्ष में प्रतिनिहित किये जाते है ।

<u>पृष्ठ ५, मद संख्या १२, पैरा १४</u>- सीतापुर रोड पर शाही पुल से मिले हुये बांध के निकट सब्जी मंडी योजना स्वीकृत करते समय यह भी निर्णय लिया गया था कि जिन स्थानों से सब्जी मंडी हटाकर प्रस्तावित आधुनिक सब्जी मंडी में लाई जानी है, उन स्थानों का विकास तथा उपयोग भी इस योजना का अंग होना चाहिये ।

कृपया इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करें ।

मद सं०-३ पिछली बैठक की लम्बित मदों पर की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण ।

--०--

प्राधिकरण की गत बैठक की मद सं० ५,८,९,१०,११ तथा १२ से संबंधित मामलों में कार्यवाही जारी है । उनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :-

(५) मधुवन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए लखनऊ सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र सं० ९१७।सी०ए०।आवास, दिनांक ३१-५-७५ द्वारा लिखा जा चुका है, आदेश प्रतीक्षित हैं ।

(८) नबीउल्लाह रोड स्थित नजूल भूमि की विकास एवं आवासीय योजना में भू-उपयोग में परिवर्तन तत्संबंधी शासकीय स्वीकृति हेतु पत्र दिनांक १९-७-७५ को भेजा जा चुका है । संक्रामक रोगों के चिकित्सालय तथा आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर के पास की खाली भूमि को योजना में शामिल कर संशोधित ले आउट प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र सं० टी।२१।एसी दिनांक २९-५-७५ द्वारा भेजा जा चुका है ।

(९) शाहमीना रोड पर स्थित नजूल भूखण्डों के विकास एवं आवासीय योजना का संशोधित ले आउट प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र सं० टी।२३। एसी दिनांक १७-५-७५ द्वारा भेजा जा चुका है तथा भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र सं० टी।३९।एसी दिनांक २०-६-७५ भेजा जा चुका है । आदेश प्रतीक्षित है ।

(१०) नेपियर रोड भाग-३ का ले आउट प्लान परिष्कृत करने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र सं० टी।६८।एसी दिनांक १९-७-७५ द्वारा भेजा जा चुका है।

(११) हाता कामता प्रसाद की मलिन बस्ती निपातन योजना का ले आउट प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को परिष्कृत किये जाने हेतु पत्र सं० टी।१६।एसी दिनांक १-५-७५ द्वारा भेजा गया है ।

(१२) सीतापुर रोड पर शहीद पुल से मिले हुये बांध के निकट सब्जी मंडी का ले आउट प्लान परिष्कृत करने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र सं० २४१।न०अ०वि० दिनांक १८-४-७५ द्वारा भेजा गया है । इस संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कुछ अतिरिक्त जानकारी अपने पत्र दिनांक ७-५-७५ द्वारा चाही थी । वह भी उनको दिनांक २१-५-७५ को भेजी जा चुकी है ।

मद सं०-६९- प्राधिकरण के अधिष्ठान हेतु आवश्यक पदों के सृजन, कुछ वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्संबंधी व्यय की स्वीकृति पर विचार ।

दिनांक २-४-१९७५ को पारित बजट में यह निर्णय लिया गया था कि पद-नामों का विवरण न दिया जाये और अधिष्ठान में मांगी गयी समस्त धनराशि स्वीकृत की जाये। तदुपरान्त जब सम्पूर्ण पदों के बारे में अन्तिम निश्चय हो जाये तब इस मद पर बजट प्राविधान पुनरीक्षित कर लिया जाये। इस प्रकार पारित किये गये बजट में अधिष्ठान के मद में रु० १८,४०,४३०/- की धनराशि पर अनन्तिम रूप से बजट की स्वीकृति दी गयी थी।

इस बीच में विकास प्राधिकरण के संगठन को एक सुव्यवस्थित स्वरूप देने की दृष्टि से उपाध्यक्ष द्वारा दि० १९ जून,१९७५ को हैदराबाद स्टाफ कालेज को आमंत्रण दिया गया कि वे लखनऊ आकर और विकास प्राधिकरण के नवजात संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति को सामने रखकर संस्था के स्वरूप और आकार पर अपना परामर्श दें। इसी के अनुक्रम में दिनांक १४ से १६ जुलाई,७५ तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद के दो अधिकारी श्री मसियेल और श्री मूर्ति लखनऊ आये और यहां प्रारम्भिक सर्वे करने के बाद यह अनुमान बताया है कि संस्था के objective & system study करने के बाद उसके organisation structure, decision making system, performance / budget के ऊपर अपना परामर्श देने में उनको लगभग ३ कन्सल्टेन्ट मन्थ्स लगेंगे जिसके लिये वह अपने सामान्य दरों पर प्राधिकरण से चार्ज करेंगे। उपाध्यक्ष द्वारा उनको इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं और यह आशा की जाती है कि प्राधिकरण की अगली बैठक तक प्राधिकरण के सामने उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी। जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती है तब तक प्राधिकरण के पदों को अन्तिम रूप देना उचित नहीं होगा।

विगत बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों की यह राय थी कि प्राधिकरण में जो पुराने महापालिका विकास विभाग के पद स्वत: हस्तांतरित हुए थे उनमें से बहुत से पद सम्भवत: अनावश्यक हैं। विशेष रूप से प्राधिकरण के सदस्यों का मत था कि संस्था को यथासम्भव न्यूनतम स्टेज पर रखा जाये और इसे आफिसर ओरियन्टेड बनाया जाये। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए अनुगामी कार्यवाही की जा रही है लेकिन यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण से वर्तमान पदों में से उतने ही पद कम किये जा सकते हैं जिनके ऊपर कार्य करने वाले व्यक्तियों को महापालिका में समायोजित किया जा सकता हो। इस दृष्टि से महापालिका में प्राधिकरण के ९ प्रथम श्रेणी, २४ द्वितीय श्रेणी और ४९ तृतीय श्रेणी के कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के विषय में शासन द्वारा मनोनीत समिति - उपाध्यक्ष और निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा निर्णय ले लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान ३७९ पदों में से लगभग ८२ पद

----क्रमश:/२

कर दी जाने पर लगभग २५ प्रतिशत प्राधिकरण के स्टाफ सृजन को सीमित रखने का प्रयास किया गया है। उक्त पदों को कम करने के बाद इससे प्राधिकरण को लगभग २ लाख रुपये वार्षिक अधिष्ठान संबंधी व्यय में कमी भी होगी।

साथ ही प्राधिकरण को दिन-प्रति-दिन का कार्य चलाने के लिये कुछ नये पदों के सृजन की आवश्यकता है जैसे- १ मुख्य अभियन्ता, ४ सहायक अभियन्ता, ११ अवर अभियन्ता, १ कास्ट एकाउन्टेन्ट, १ प्लानर, १ विधि अधिकारी, १ सहायक नगर अधिकारी, १ जन सम्पर्क अधिकारी, १ सहायक लेखा अधिकारी, ४ स्टेनोज़ और एक उपाध्यक्ष के व्यक्तिक सहायक, १ आर्किटेक्ट तथा ८ पद ड्राईवर। इन नये पदों पर अनुमानित व्यय रू० २,३१,०००/- होगा। इस व्यय के बाद भी बजट में स्वीकृति धनराशि से अधिष्ठान पर व्यय कम रहेगा।

उपरोक्त दिये गये कारणों के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण के स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत किये जाते हैं:-

(१) प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अभीष्ठ संस्थागत आकार (organisation structure, decision making system, performance budget) बनाने के लिये उपाध्यक्ष द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को दिए गए निर्देशों की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(२) विकास प्राधिकरण के वर्तमान पदों में से ९ प्रथम श्रेणी लिपिक, २४ द्वितीय श्रेणी लिपिक और ४९ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को समायोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और उपाध्यक्ष की अनुशंसा के अनुसार उसे स्वीकृत किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों को प्राधिकरण द्वारा निलम्बित या खत्मेन्स में समझा जाये। उक्त ८२ पदों के अतिरिक्त पुराने ३७६ पदों में से २९४ पदों को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत समझा गया।

(३) प्राधिकरण के अतिआवश्यक कार्य-कलापों को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष की अनुशंसानुसार १ मुख्य अभियन्ता, १ प्लानर, १ आर्किटेक्ट, १ कास्ट एकाउन्टेन्ट, १ विधि अधिकारी, १ जन-सम्पर्क अधिकारी, १ सहायक नगर अधिकारी, ४ सहायक अभियन्ता, ११ अवर अभियन्ता, १ वैयक्तिक सहायक, ४ स्टेनोज़ और ८ ड्राइवरों के पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इन पदों पर व्यय स्वीकृत बजट की धनराशि के भीतर ही किया जायेगा।

(४) इस प्रकार संलग्न तालिका में दिये गये २९४ पुराने और ३५ नये पदों की स्वीकृति उनके सामने इंगित वेतनक्रम पर दी जाती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

वार्षिक अनुमानित व्यय
(अधिष्ठान)

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनक्रम	वार्षिक अनुमानित व्यय
१	२	३	४	५
१-	उपाध्यक्ष	१	शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी को जो देय होगा।	२५,०००
२-	सचिव	१	-,,-	२५,०००
३-	मुख्य लेखाधिकारी	१	-,,-	२०,०००
४-	मुख्य अभियन्ता	१	१३००-१६००	२०,५००
५-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	१	१२००-१६००	१६,६००
६-	प्लानर	१	८००-१४५०	१३,३००
७-	आर्कीटैक्ट	१	८००-१४५०	१३,३००
८-	विधि अधिकारी	१	८००-१४५०	१३,३००
९-	उप नगर अधिकारी	१	६५०-१४००	१९,४००
१०-	अधिशासी अभियन्ता	३	६५०-१४००	४७,३००
११-	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी	१	५५०-१२००	१३,४००
१२-	सहायक नगर अधिकारी	२	५००-११५०	२८,६००
१३-	सहायक अभियन्ता	१२	५००-११५०	१,२३,९००
१४-	जनसम्पर्क अधिकारी	१	५००-११५०	८,३००
१५-	सहायक लेखाधिकारी	१	४२५-९००	६,४००
१६-	वैयक्तिक सहायक--उपाध्यक्ष	१	४२५-९००	६,४००
१७-	अवर अभियन्ता	५२	२८०-४६४	३,१८,३००
१८-	कार्यालय अधीक्षक	१	३२०-६२०	५,८००
१९-	ड्राफ्ट्समैन	६	२८०-४६४	३६,५००
२०-	ट्रेसर	५	१७६-२५०	१४,५००
२१-	कम्प्यूटर	४	२८०-४६४	१७,६००
२२-	फैरोप्रिन्टर	१	१६८-२१६	२,८००
२३-	सर्वेयर	३	१७६-२३०	८,०००
२४-	वेनमैन	६	१६५-२१५	१५,४००
२५-	वर्क्सएजेण्ट	१	१७२-२२६	२,७००
२६-	लेखाकार	२	३००-५१०	६,२००
२७-	सहायक लेखाकार	१	२२५-४००	३,४००
		११४		८,२४,९००

क्रमशः--

१	२	३	४	५
		११४		८,२४,६००
२८-	विभागीय लेखाकार	-- २	२००-३४०	६,४००
२९-	लेखालिपिक	-- ६	१९५-३१५	१८,०००
३०-	कैशियर	-- १	२८०-४६४	४,४००
३१-	सहायक कैशियर	-- ३	२२०-४००	१०,३००
३२-	सहायक कर अधीक्षक	-- २	३५०-७००	१०,६००
३३-	कर निरीक्षक	-- १	१९५-३१५	३,०००
३४-	जिलेदार	-- ६	१८५-२८०	१७,५००
३५-	अमीन	-- १३	१८५-२८०	३७,०००
३६-	टैक्स कलेक्टर (रेण्ट)	— ७	१८५-२८०	२०,५००
३७-	अहलमद	-- २	१८५-२८०	५,८००
३८-	प्रधान लिपिक	-- ६	२४०-४२४	२२,७००
३९-	लिपिक प्रथम श्रेणी (स्टोर कीपर सहित)	-- १८	१९५-३१५	४५,३००
४०-	लिपिक द्वितीय श्रेणी (सहायक स्टोर कीपर सहित)	-- २७	१८५-२८०	७८,८००
४१-	आशुलिपिक	-- ८	२४०-४२४	३०,४००
४२-	रीडर(विशेष भूमि अर्जन अधिकारी(कार्यालय)	-- १	२५०-४२५	५,९००
४३-	क्लर्क कम रिकार्डर (,,)	-- १	२००-३२०	४,५००
४४-	ड्राइवर	-- ८	१७२-२२६	२१,८००
४५-	गनर	-- १	१७२-२२६	२,८००
४६-	दफ्तरी	— १	१६८-२१८	२,७००
४७-	जमादार	— १	१६८-२१८	२,७००
४८-	चपरासी	-- ४७	१६५-२१५	१,२१,८००
४९-	हेडमाली	— ६	१६८-२१८	१५,९००
५०-	माली	-- ४४	१६५-२१५	१,१४,०००
५१-	स्वीपर	-- १	१६५-२१५	२,६००
		३२७	योग:	१४,३०,३००
			अथवा:	१४,३५,०००

मद सं० ५ — लखनऊ के कुछ चुने हुए क्षेत्रों के मुख्य मार्गों के दोनों ओर स्थित भवनों के अग्रभाग में रंग रोगन करने के संबंध में मुख्य मंत्री जी के सचिवालय से प्राप्त ज्ञापन दिनांक ७-७-७५ के निर्देशानुसार बनाये गये समय बद्ध कार्यक्रम पर विचार एवं तत्संबंधी योजना की स्वीकृति ।

--o--

मुख्य मंत्री जी ने यह इच्छा व्यक्त की है कि हजरतगंज, अमीनाबाद, लाटूश रोड एवं लालबाग स्थित राजकीय तथा निजी भवनों में नया रंग रोगन करते हुये उनका जीर्णोद्धार किया जाय । उनके सचिवालय से प्राप्त निर्देश नीचे उद्धृत किये जाते हैं :--

"The owners of the private buildings and Government buildings are to be clearly told that within a specified period they have to give the face-lift as per the approved colour scheme to the buildings which are indicated by the Nagarpalika.

A penal clause has to be added saying that in case the work is not completed by them within the specified period this will be done by the Corporation and the cost will be recovered from the owners.

The survey work has to commence immediately and this thing is to be kept in view that the colour scheme be given and the initial action be taken have to start by 25th of July so that by the middle of October it is completed in all respects."

मुख्य मंत्री जी ने संबंधित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के पश्चात् समय-बद्ध कार्यक्रम सहित तत्संबंधी रिपोर्ट की अपेक्षा की है । तदनुसार निम्नलिखित समय-बद्ध कार्यक्रम प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है :--

२०-७-७५	-- प्रश्नगत भवन स्वामियों । किरायेदारों की सूची तैयार करना ।
३१-७-७५	-- रंग रोगन की योजना का निर्धारण ।
३१-७-७५	-- अध्यादेश द्वारा विधिक प्राविधान ।
७-८-७५	-- क्षेत्र की पूर्ण सतह के आधार पर क्षेत्रवार आगणन की तैयारी और स्वीकृति ।
१५-८-७५	-- तक नोटिस तामीली कार्यवाहीपूर्ण ।
३१-८-७५	-- आमंत्रित निविदाओं की स्वीकृति ।
१५-९-७५ से १५-१०-७५ तक	-- विभाग द्वारा पेंटिंग कार्य ।

क्रमश:----

185

[illegible]-७५ -- पेंटिंग कार्य की पूर्ति पर प्राधिकरण द्वारा उत्सव का आयोजन (मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में) ।

३१-३-७६ -- सम्पूर्ण व्यय की गई धनराशि की वसूली ।

आगणन बनने से पूर्व योजना की लागत ज्ञात होना सम्भव नहीं है । प्राधिकरण कृपया उक्त संदर्भ में इस योजना का अनुमोदन करने का कष्ट करें ताकि शासन को वांछित रिपोर्ट समय से भेजी जा सके ।

मद सं० - ६

चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने तथा आलमबाग में लोको शेड की बगल में [illegible]र की गोदाम की रेलवे की भूमि एवं प्राधिकरण की पाण्डे का तालाब तथा एल०आई०टी० रेलवे साइडिंग ऐशबाग स्थित भूमि की अदला बदली के संबंध में विचार एवं निर्णय।

--०--

आलमबाग क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग नं० २५ के साथ लगा हुआ एक बड़ा [illegible]ण्ड है जो राष्ट्रीय मार्ग और रेलवे रनिंग शेड की बाउन्डरी की दीवार के [illegible] [illegible] है जिसका [illegible] विकास एक बड़े पैमाने पर व्यवसायिक क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। यह भूमि रेलवे विभाग की है और इसके विषय में उपाध्यक्ष तथा श्री चोपड़ा, मण्डल अधीक्षक, उत्तरी रेलवे, से लम्बी वार्ता के बाद यह तय हुआ कि यह भूमि रेलवे विभाग से प्राप्त की जाये और इसके एवज में रेलवे विभाग को ऐशबाग में भगवान इन्डस्ट्रीज से लगी हुई एल०आई०टी० रेलवे साइडिंग की भूमि दी जाये क्योंकि प्राधिकरण के लिये यह सम्भव न होगा कि भूमि की एवज में नकद मुआवजा दिया जा सके और रेलवे विभाग यह स्पष्ट कर चुका है कि रेलवे विभाग की कोई भूमि बिना नगद या भूमि के एवज के मुआवजे के रूप में नहीं दी जा सकती है।

इस दृष्टि से उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष एवं सचिव, स्वायत्त शासन से मई के [illegible] में सम्पर्क किया और उनका परामर्श लेने के बाद प्राधिकरण की स्वीकृति की [illegible]आशा में रेलवे विभाग को प्रस्तावित किया है कि एल०आई०टी० की भूमि को [illegible] रेलवे विभाग के भूखण्ड से २:३ के अनुपात में विनिमय किया जाये और रेलवे [illegible] पूर्ण भूखण्ड का वह भाग विकास प्राधिकरण को देगा जो राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा हुआ है और सड़क के किनारे-किनारे की पट्टी के रूप में है।

इसी प्रकार रेलवे विभाग से एक अन्य भूमि के विनिमय के बारे में बात तय हुयी है। रेलवे स्टेशन के सामने सड़क के किनारे एक पट्टी की आवश्यकता सड़क को चौड़ा करने के लिये है। अतएव रेलवे से इस भूखण्ड के एवज में पाण्डे का तालाब से १:१ के अनुपात में विकास प्राधिकरण की जमीन देने का प्रस्ताव भी उपाध्यक्ष द्वारा रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत है।

मद सं० -७ निजी शैक्षिक संस्थान, निजी निःशुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

--0--

प्राधिकरण से निजी शैक्षिक, चैकित्सिक तथा समाज कल्याण सम्बन्धी संस्थायें अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु रियायती दरों पर भूमि की करती रहती हैं । यदि यह संस्थायें पंजीकृत हों, अपने घोषित उद्देश्यों अनुरूप कार्यरत हों तथा इनका कार्य उच्च कोटि का हो तो उन्हें बाजार भाव से ३३ प्रतिशत तक कम रियायती दरों पर भूमि दी जा सकती है ।

प्राधिकरण कृपया इस विषय पर नीति निर्धारित करने का कष्ट करें ।

मद सं० -८ वे रोड तथा राना प्रताप मार्ग के दोनों ओर की भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन पर विचार एवं निर्णय ।

--o--

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने अपने पत्र दिनांक १६-७-७५ द्वारा यह प्रार्थना की है कि वे रोड पर पहले से स्थित और सरकारी कार्यालयों के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये निदेशालय को २, वे रोड पर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाय । उनका कहना है कि वे रोड पर काफी भूमि उपलब्ध है जहां सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा सकता है । पिछली बैठक में प्राधिकरण द्वारा उक्त भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी ।

लखनऊ नगर के मास्टर प्लान में अशोक मार्ग पर स्थित भूखण्डों को कार्यालय के निर्माणार्थ दर्शाया गया है । इस स्थान पर अब कार्यालयों के लिये कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं है और नगर में राजकीय तथा अन्य कार्यालयों के लिये स्थान की बहुत कमी है । अत: यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कार्यालयों के निर्माण हेतु राना प्रताप मार्ग, वे रोड और निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यालय स्थान का प्राविधान करते हुए मास्टर प्लान में संशोधन किया जाय ।

यदि प्राधिकरण तदनुसार उक्त पूरे क्षेत्र के भू-उपयोग में परिवर्तन का निर्णय ले तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को सूचित कर दिया जायगा । उस दशा में उन्हें पृथक से भू-उपयोग से मुक्ति देने का प्रश्न नहीं उठेगा । यहां यह भी निर्णय लेना होगा कि शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यालयों के निर्माण हेतु शहर में इस प्रकार के अन्य क्षेत्र कहां सुरक्षित किये जांय ।

यदि उक्त स्थानों पर भू-उपयोग का संशोधन कार्यालयों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान में कर दिया जाता है तो लखनऊ स्थित सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया जायेगा कि वे अपने अपने कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु भविष्य में अन्य स्थानों पर भूमि इत्यादि न प्राप्त करें अन्यथा उन्हें भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

मद सं०-९ "लखनऊ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना" जिसका क्षेत्रफल ४,३३३ एकड़ है और जिसकी सीमा उत्तर में शारदा नहर, पूरब की ओर [illegible]रेली मार्ग, पश्चिम की ओर कानपुर रोड तथा दक्षिण के एक [illegible]र अमौसी हवाई अड्डा है, नोटीफाई करने पर विचार।

--o--

लखनऊ नगर की जनसंख्या गत १० वर्षों में लगभग दो लाख से अधिक [illegible] गयी है। आगामी वर्षों में नगर प्रसार और अनियोजित होने की सम्भावना है [illegible]र उसे नियोजित करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्राधिकरण द्वारा एक [illegible] "लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना" के नाम से बनाई गई है। इस [illegible] उत्तर में शारदा नहर, पूरब की ओर रायबरेली मार्ग, पश्चिम की ओर कानपुर रोड तथा दक्षिण की ओर वाली भूमि के खसरा नम्बरों की सूची पार्श्वांकित हैं। इस योज[illegible] में लगभग ११ ग्राम आते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है और जिनमें लगभग ८ [illegible]र लोग रह रहे हैं :--

खसरा नं० १०४० से १७९५।

३८२, ३८३, ३८[illegible], ३७९, ३७८, ३७६, ३५२, ३५१, २९९, २२१ से २२५, २३४, २४६, २६७, ३२४, ३२३, २५७, ३०४, ३०३, २९४, २९२, १२७५, १२७८, १२८६, १२९४, १२९५, १३१४ एवं १३२० ।

गांव का नाम		क्षेत्रफल बी	बि०	बि०	क०
[illegible]रगवां	--	९९५	९	१३	११
२[illegible]पुर पकरी	--	२२६	७	२	०
३- बेहसा	--	१०४६	८	८	४
४- किला मोहम्मदी नगर	--	१३९८	१६	१२	०
५- औरंगाबाद [illegible]लसा	--	१०२२	१४	४	०
६- हसनापुर	--	६६	१८	१६	०
७- सालेनगर	--	१०८२	१०	८	०
८- मदरूक	--	६८०	१०	०	१३
९- खरिका	--	७९	१८	०	०
[illegible] उतरटिया	--	८६	३	१०	०
[illegible] हैवातमऊ मंवया	--	२४६	८	१२	०
कुलयोग	--	६९३२	५	६	८

[illegible] एकड़ अथवा १८,८७,४५,४८० वर्गफुट या १,७५,३४,४५५ वर्गमीटर।

क्रमश:---

उपरोक्त योजना में ६,४३,७२,७४० वर्गफुट का विकास होगा जिसमें एक करोड़ वर्गफुट भूमि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सबसिडाइज्ड दरों पर दिया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में एकोनामिक्स इस प्रकार है :--

कुल अर्जित भूमि	--	१८,८७,४५,४८० वर्गफुट (१,७५,३४,४५५ वर्गमीटर)
५० प्रतिशत सड़कों, पार्कों एवं अन्य खुली जगहों इत्यादि के लिए	--	६,४३,७२,७४० वर्गफुट (८७,६७,२२७ वर्गमीटर)
प्लाटों के लिए कुल विकसित भूमि	--	६,४३,७२,७४० वर्गफुट

सारांश

१८,८७,४५,४८० वर्गफुट अर्जित भूमि की कीमत : रु० प्रति वर्गफुट की दर से	रु० १८,८७,४५,४८०।-
(ब) ६,४ ,७२,७४० वर्गफुट विकास की कीमत : ३।-रु० प्रति वर्गफुट की दर से	रु० २८,३१,१८,२२०।-
(स) आन्तरिक विकास के खर्चे : सीवेज फार्म, इलेक्ट्रिक सबमेन स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि। ०-५० प्रति वर्गफुट की दर से	रु० ४,७१,८६,३७०।-
खर्चे का कुल योग:	रु० ५१,९०,५०,०७०।-

(अ) ८,४३,७२,७४० वर्गफुट प्लाटों के लिए बिक्री दर रु०६।- प्रति वर्गफुट :	रु० ५०,६२,३६,४४०।-
(ब) ६०,००,००० वर्गफुट (६० लाख) कमजोर वर्गों के लिए छोटे प्लाटों की बिक्री दर सबसिडाइज्ड दर पर ३।-रु० प्रति वर्गफुट :	रु० १,८०,००,०००।-
( ) ४०,००,००० वर्गफुट (४० लाख वर्गफुट) डब्लू०एस० भवनों एवं प्लाटों की बिक्री बसिडाइज्ड दर पर रु०३।- प्रति फुट की दर से :	रु० १,२०,००,०००।-
कुल आय :	रु० ५३,६२,३६,४४०।-

रिवाल्विंग फंड हेतु योजना पर कुल लाभ :
५३,६२,३६,४४० — ५१,९०,५०,०७०।- = रु० १,७१,८६,३७०।-

उपरोक्त योजना जिसका नाम "लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना होगा" की बाउण्ड्री तथा क्षेत्रफल, ग्राम सहित जनहित तथा नगर के विकास के हित में नोटीफाई करने हेतु आख्या विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

मद सं०-१० अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग संबंधी मेसर्स गर्गा फार्मा प्राइवेट लि० लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-५-७५ पर विचार।

--०--

यह विषय अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के दिनांक १३-५-७५ के अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत है।

स्थिति यह है कि मेसर्स गर्गा फार्मा प्रा० लि० को भूखण्ड सं० ६३ आवंटित है, और इस भूखण्ड पर इन्होंने अपना उद्योग स्थापित कर लिया है। भूखण्ड सं० ६४ व ६४ ए मेसर्स मैक्सवेल कम्पनी प्रा० लि० लखनऊ को आवंटित है और इन दोनों भूखण्डों की रजिस्ट्री भी इनके पक्ष में की जा चुकी है।

मेसर्स गर्गा फार्मा ने यह सूचित किया है कि मैक्सवेल कम्पनी प्रा०लि० भूखण्ड सं० ६४-ए को प्रयोग में नहीं लाये हैं और उन्होंने शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है। इन्होंने यह प्रार्थना की है कि यह भूखण्ड संख्या ६४ए उन्हें लीज पर दे दिया जाय।

मौके की जांच कराई गयी जिससे विदित हुआ है कि भूखण्ड सं० ६४ पर बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें मेसर्स मैक्सवेल कम्पनी प्रा०लि० का प्रेस चल रहा है। भूखण्ड संख्या ६४ए के कुछ भाग पर भी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें प्रेस की मशीने चल रही हैं और बाकी भाग पर बिल्डिंग बन रही है। इन दोनों बिल्डिंगों के नक्शे पास हो चुके हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में भूखण्ड सं० ६४ए के आवन्टी मेसर्स मैक्सवेल कम्पनी प्रा०लि० के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही अपेक्षित है और न ही यह भूखण्ड किसी प्रकार भी मेसर्स गर्गा फार्मा को दिया जा सकता है।